

पत्रांक-02 / विविध-23 / 2015 परि0
बिहार सरकार
परिवहन विभाग

प्रेषक,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला परिवहन पदाधिकारी,
भागलपुर।

पटना, दिनांक

विषय :- जिला परिवहन कार्यालय पर निजी वाहनों के निबंधन हेतु नया निबंधन सिरीज के आवंटन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-864, दिनांक-13.07.2018 के संबंध में कहना है कि विभागीय पत्रांक-6178, दिनांक-07.12.2017 द्वारा डीलर प्वाइंट पर निजी वाहनों के निबंधन हेतु पूर्व में निबंधन सिरीज **BR-10Z** का आवंटन किया गया था।

आपके द्वारा यह अवगत कराया गया है कि वाहन-4.0 व्यवस्था लागू होने के कारण उक्त आवंटित सिरीज समाप्त नहीं हो पाया है एवं डीलरों के पास कतिपय निबंधन संख्या अव्यवहृत है। इस हेतु उक्त सिरीज को ही जिला परिवहन कार्यालय पर निजी वाहनों के निबंधन हेतु आवंटित किया जाय।

अतः उपर्युक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक-6178, दिनांक-07.12.2017 द्वारा पूर्व आवंटित सिरीज **BR-10Z** को जिला परिवहन कार्यालय पर निजी वाहनों के निबंधन हेतु प्रारंभ करने की अनुमति इस शर्त के साथ दी जाती है कि वर्तमान चालू सिरीज **BR-10AA** में 9999 वाहनों का निबंधन पूर्ण होने के पश्चात् ही इस सिरीज के अंतर्गत निबंधन प्रारम्भ किया जाएगा। इस आवंटित सिरीज में मालवाहक एवं व्यावसायिक वाहनों का निबंधन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाएगा। यह आपका दायित्व होगा कि **BR-10Z** के शेष नम्बर जिनपर कोई निबंधन नहीं हुआ हो मात्र वैसे नम्बर ही उपयोग में लाये जायेंगे।

उपर्युक्त प्रस्ताव पर राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार का अनुमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

ह0/-

विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- 02 / विविध-23 / 2015 4647

पटना दिनांक- 20/7/18

प्रतिलिपि :- राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, कम्प्यूटर कोषांग, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक-02/विविध-23/2015 परि0 ५६५७
बिहार सरकार
परिवहन विभाग

प्रेषक,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला परिवहन पदाधिकारी,
भागलपुर।

पटना, दिनांक 20/7/18

विषय :-

जिला परिवहन कार्यालय पर निजी वाहनों के निबंधन हेतु नया निबंधन सिरीज के आवंटन के संबंध में।

महाशय,


निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-864, दिनांक-13.07.2018 के संबंध में कहना है कि विभागीय पत्रांक-6178, दिनांक-07.12.2017 द्वारा डीलर प्वाइंट पर निजी वाहनों के निबंधन हेतु पूर्व में निबंधन सिरीज **BR-10Z** का आवंटन किया गया था।

आपके द्वारा यह अवगत कराया गया है कि वाहन-4.0 व्यवस्था लागू होने के कारण उक्त आवंटित सिरीज समाप्त नहीं हो पाया है एवं डीलरों के पास कतिपय निबंधन संख्या अव्यवहृत है। इस हेतु उक्त सिरीज को ही जिला परिवहन कार्यालय पर निजी वाहनों के निबंधन हेतु आवंटित किया जाय।

अतः उपर्युक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक-6178, दिनांक-07.12.2017 द्वारा पूर्व आवंटित सिरीज **BR-10Z** को जिला परिवहन कार्यालय पर निजी वाहनों के निबंधन हेतु प्रारंभ करने की अनुमति इस शर्त के साथ दी जाती है कि वर्तमान चालू सिरीज **BR-10AA** में 9999 वाहनों का निबंधन पूर्ण होने के पश्चात् ही इस सिरीज के अंतर्गत निबंधन प्रारम्भ किया जाएगा। इस आवंटित सिरीज में मालवाहक एवं व्यावसायिक वाहनों का निबंधन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाएगा। यह आपका दायित्व होगा कि **BR-10Z** के शेष नम्बर जिनपर कोई निबंधन नहीं हुआ हो मात्र वैसे नम्बर ही उपयोग में लाये जायेंगे।

उपर्युक्त प्रस्ताव पर राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार का अनुमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन,


विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।